

3.1.1 Project Letter

STATEMENT OF ACCOUNT from 01/03/2021 to 12/04/2021 for Account Number 853613904.

Page No: 1

INDIAN BAN
 RAMPUR
 SHAUKAT ALI ROAD , RAHE MURTAZA , RAMPUR, U.F
 Branch Code :0178
 Account Number : 853613904
 Product type : SBCHQ-GEN-PUB-METRO/URBAN-IN

LIBRARY A/C
 GOVT. RAZA P G COLLEGE
 RAMPUR UP 244901
 RAMPUR UP 244901
 Email : grpg.rmp@gmail.com
 Statement Date :Mon Apr 12 11:25:43 IST 2021
 Cleared Balance :1781632.55
 Uncleared Amount :0.00
 Drawing Power :0.00
 Interest Rate : 2.900

Value Date	Post Date	Remitter Branch	Description	Cheque No	DR	CR	Balance
			BALANCE B/F				761672.55CR
03/03/2021	03/03/2021	SERVICE BRANCH (DELHI)	CHEQUE WDL R R SONS	00037996	340.00		761332.55CR
26/03/2021	26/03/2021	MUMBAI FORT	C/AC FEES ALLAHABAD CIVIL RBI08621095214 38 TRANSFER FROM 97165000127			20000.00	781332.55CR
31/03/2021	31/03/2021	RAMPUR	WITHDRAWAL TRANSFER INFLIBNET NLIST /IDIBH210903140 43/NEFT/SBIN TRANSFER TO 89634017810		5900.00		775432.55CR
31/03/2021	31/03/2021	MUMBAI FORT	C/AC FEES ALLAHABAD CIVIL RBI09121184775 15 TRANSFER FROM 97163000129			1001000.00	1776432.55CR
31/03/2021	31/03/2021		CREDIT INTEREST			5200.00	1781632.55CR

* Statement Downloaded By LIBRARY A/C on Mon Apr 12 11:25:43 IST 2021

Unless a constituent notifies the Bank immediately of any discrepancy found by him/her in this statement of a/c, it will be taken that he has found the a/c correct.

END OF STATEMENT - from Internet Banking.

1- Dr. Arvind Kumar - 201000 =
 2- Dr. Prakash Kumar - 200000 =
 3- " Nidhi Gupta - 3,00,000 =
 4- " Baby Tabassum - 300,000 =
 Total - 1001000 =

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासना।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-140/रा0उ0शि0प0/02/2021, दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरंत प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू० 221.40 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर से योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुपक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
10. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
12. विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत परियोजना प्रस्ताव मूलरूप में संलग्न है।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अर्धान लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13- प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट -42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/वी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।


4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
7. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
8. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (सर्वेश कुमार सिंह)
 संयुक्त सचिव।

कार्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृ०सं०-सहा०नि०डिग्री विकास/ 56-224 /2021-22 दिनांक 01 /04 /2021
 प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

- 1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्राचार्य / प्राचार्या संबंधित राजकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।
- 3-संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता संबंधित राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।


 डॉ० (राजीव पाण्डेय)
 संयुक्त निदेशक (उ०शि०),
 कृते-शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

शासनादेश संख्या-46/2021/603/सत्तर-4-2021-4(56)/2020 दिनांक 30/03/2021 का स

1. Dr Arvind Kumar 2. Dr Pravesh Kumar

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	शोधकर्ता का नाम	विषय	संकाय	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	डॉ0 अरविंद कुमार	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं एवं उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन	अन्य	201000
2	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	डॉ0 परवेश कुमार	जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैज्ञानिक तार्किक सामाजिक एवं सांवेगिक क्षमताओं पर तैंगिक, आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन	अन्य	200000
3	राजकीय महिला महाविद्यालय झांसी	डा0 संजीव मिश्रा	Effects of socio-economic and environmental factors on the involvement of college girls of Bundelkhand region in games and sports	अन्य	236500
4	राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन राजकीय महा0 तालबेहट, ललितपुर	डॉ0 रीना वालिय	Relationship between Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-hip ratio with Hypertension & Diabetes among the Middle Age People of Uttar Pradesh	अन्य	200000
5	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ	डॉ0 शील धर दुबे	The Silence field and role of the underlying of laws on sexual harassment and abuse in sport and physical activity	अन्य	275000
6	नेता जी सुभाषचन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज, लखनऊ	डॉ0 शिवानी श्रीवास्तव	A Study for the need assessment of roof top in house open space gardening for immunity booster plantation-An empirical research in Lucknow City	अन्य	262000

3. Dr Nidhi Gupta 4. Dr Baby Tabbsum

16	सन्त गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊ	डॉ० प्रदीप कुमार	In vitro and in vivo anthelmintic studies of medicinal plant <i>Solanum nigrum</i> L. Against <i>Fasciola gigantica</i> larva and host snail <i>Lymnaea acuminata</i>	साइंस	215000
17	काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही	डॉ० कल्पना अवस्थी	Efficient adsorptive removal of dye from textile waste water using graphene based Nano structures	साइंस	300000
18	काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही	डॉ० सुमन गुप्ता	"Viability & Periodicity of Algae in Response to Seasonal Changes in the Environment"	साइंस	200000
19	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	डॉ० निधि गुप्ता	Licicidal potential of selected plant extracts against common phthirapteran ectoparasites (Class:Insecta) poultry birds	साइंस	300000
20	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	डॉ० बेबी तब्बसुम	Biosorptive Removal of Arsenic Toxicity through Zingiber officinals (Ginger) and Brassica Juncea L. (Indian Mustard) in a freshwater Teleost fish channa punctatus (BLOCH) from Ramganga and Kosi River of West U.P. Region	साइंस	300000
21	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राजकीय महा० औडन्य पड़रिया (मैनपुरी)	डॉ० सुरेन्द्र प्रताप सिंह	"Study of Elastic Properties of Geophysical Minerals under high pressure and high temperature"	साइंस	255000
22	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा	डॉ० शिल्पी शाक्य	Screening of anti & nematode potential of leaf extract from selected plants against root-knot nematode <i>Meloidogyne incoognita</i> % A-green solution for plant parasitic nematode management	साइंस	300000
23	वीरागन्ना अवन्ति बाई राजकीय महा० अतरौली अलीगढ़	डॉ० सुरेश कुमार	Restore wetland and Biodiversity threatened by water pollution overcutting exotic specie and inappropriate land use practices at long the kahi nadi	साइंस	229000



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.....

168324 / UPPCB / CL / 71 / B-2 / 2021-22

दिनांक
Date

16-11-21

सेवा में,

पंजीकृत डाक द्वारा

डा० मो० कामिल हुसैन
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग,
गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर।

विषय: मुरादाबाद नगर में परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुरादाबाद नगर में परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत किये जाने हेतु आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1596/ए-8/लैब/जनरल दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संदर्भित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुश्रवण कार्य की विशिष्ट शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत मुरादाबाद नगर में 02 स्थलों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य परियोजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु स्वीकृत है। उक्त कार्य के लिए कुल रू० 7,40,000/- (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित की धनराशि एक वर्ष हेतु कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. प्रत्येक अनुश्रवण केन्द्र पर सप्ताह में दो दिन 24 घंटे लगातार (वर्ष में 104 दिन) वायु अनुश्रवण का कार्य किया जाना होगा। अनुश्रवण केन्द्रों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद में 03 प्रचालकों पीएम१०, सल्फर डाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन डाई आक्साइड गैस का विश्लेषण किया जाएगा। अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़े नियमित रूप से अनुश्रवण कार्य के 24 घंटे के अन्दर इंटरनेट के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जायेगे। सभी आंकड़ें निर्धारित प्रारूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माह की समाप्ति पर प्रथम दस दिवसों में आवश्यक रूप से (हार्ड कापी/साफ्ट कापी) में उपलब्ध कराये जाएंगे। डाटा गैप होने की दशा में उक्त अवधि/दिवसों का भुगतान बोर्ड द्वारा देय नहीं होगा।
4. अनुश्रवण कार्य के समस्त अभिलेख गोपनीय रखे जाएंगे और इनका प्रयोग किसी शोध कार्य, रिसर्च पेपर, समाचार पत्र एवं वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं आदि में बिना बोर्ड की अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। अनुश्रवण कार्य के परिणामों पर राज्य बोर्ड का ही अधिकार होगा।
5. अनुश्रवण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कार्य को निरस्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
6. उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन स्थानीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के संरक्षण में किया जाएगा एवं प्रतिदिन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। यदि परियोजना अवधि के मध्य परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण संबंधी संयंत्रों में मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता पायी जाती है तो वह संस्थान द्वारा अपने स्तर से ही करायी जायेगी। मरम्मत में आने वाले व्यय को बोर्ड द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

कृ०पृ००..2


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष :522-2720831, 2720828
फैक्स : 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone:0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite:www.uppcb.com

7. अनुश्रवण से संबंधित उपकरणों का कैलीब्रेशन एन.ए.बी.एल. ऐक्रिडीटेड लैब द्वारा प्रति वर्ष कराया जायेगा। कैलीब्रेशन का कार्य संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। आर0डी0एस0 एवं बैलेन्स के इन्टर्नल एवं एक्सटर्नल कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन सार्टिफिकेट एवं रिकार्ड की सत्यापित छायाप्रति केन्द्रीय प्रयोगशाला को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।
8. बोर्ड द्वारा प्रोजेक्ट कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
9. आप द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता कार्यो, प्रयोगशाला की गुणवत्ता, अनुश्रवण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि की समीक्षा समय-समय पर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा की जायेगी।
10. दीपावली पर्व के दौरान परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य 24 घण्टा लगातार 15 दिवसों तक पर्व से 01 सप्ताह पूर्व (07 दिन), पर्व के दिन एवं पर्व से 01 सप्ताह बाद (07 दिन) अर्थात कुल 15 दिन निरन्तर आवश्यक रूप से किया जायेगा, जिसमें कि हैवी मेटल्स का विश्लेषण भी सम्मिलित होगा। हैवी मेटल्स के प्रचालकों के विश्लेषण में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा पृथक से दिया जायेगा।
11. परियोजना संबंधी शर्तों/नियमों का Memorandum of Understanding (सहमति ज्ञापन) का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। उक्त को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर अंकित कर नोटरी एवं हस्ताक्षरित करवाकर आवश्यक रूप से केन्द्रीय प्रयोगशाला को मूल रूप में प्रेषित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(राम गोपाल)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधानाचार्य गर्वमेन्ट रज़ा पी0जी0 कालेज, रामपुर।
5. प्रभारी लेखा, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि गर्वमेन्ट रज़ा पी0जी0 कालेज, रामपुर से समन्वय स्थापित कर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइलाइन्स के अनुसार संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या केन्द्रीय प्रयोगशाला को भी प्रेषित कराना चाहें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला,
तथा

गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा प्र० मो० कामिल हुसैन, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग,
गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर।

के मध्य

अनुबन्ध-पत्र

मुरादाबाद शहर में 02 स्थलों पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल एम्बियन्ट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा कार्य प्रथम बार आरम्भ किया जाना है। मुरादाबाद नगर में 02 स्थलों पर वायुगुणता का कार्य अनुश्रवण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 01 वर्ष हेतु स्वीकृत है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला जिसे एतत् पश्चात प्रथम पक्ष कहा जायेगा और गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर द्वारा प्र० मो० कामिल हुसैन, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, गर्वमेन्ट रजा पी०जी० कालेज, रामपुर जिसे एतत् पश्चात द्वितीय पक्ष कहा जायेगा। निम्नलिखित रूप से सहमत हुए हैं कि :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मुरादाबाद नगर में 02 स्थलों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद पर परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण किया जाएगा, जिसके लिये प्रथम पक्ष द्वारा रू० 7,40,000/- (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित, प्रति वर्ष की दर से (02 अनुश्रवण केन्द्रों के लिए) भुगतान किया जायेगा।
2. यह कि उक्त अनुबन्ध, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृत परियोजना की समयावधि कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगा।
3. यह कि उक्त परियोजना के संचालन हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रू० 7,40,000/- (रू० सात लाख चालीस हजार मात्र) टैक्स सहित का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप से द्वितीय पक्ष को देय होगा। उक्त 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा इन्चायस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत अनुश्रवण कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा छः माह के कुशल संचालन के पश्चात, परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की शेष/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु इन्चायस द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के माध्यम से ही प्रथम पक्ष को प्रेषित की जायेगी। साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित अनुश्रवण केन्द्र के संचालन-संबंधी सत्यापन-आख्या भी, उक्त क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति सहित प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात ही भुगतान बोर्ड द्वारा देय होगा।
4. यह कि परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के विरुद्ध भुगतान में अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो सकता है, उक्त परिस्थिति में संस्था/द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि उक्त परियोजना में स्वीकृत धनराशि में वायुगुणता अनुश्रवण से संबंधित समस्त कार्य तथा स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण, स्थल का किराया, बिजली का किराया, श्रमशक्ति, संयंत्रों की मरम्मत इत्यादि सभी व्यय सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी अन्य मद में किसी भी प्रकार का भुगतान द्वितीय पक्ष को नहीं किया जायेगा।
6. यह कि प्रत्येक अनुश्रवण केन्द्र पर सप्ताह में दो दिन 24 घंटे लगातार (वर्ष में 104 दिन) वायु अनुश्रवण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य किया जाना होगा। अनुश्रवण केन्द्रों क्रमशः पी०टी०सी० एवं बुद्ध बाजार, मुरादाबाद में 03 प्रचालकों पीएम१०, सल्फर डाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन डाई आक्साइड गैस का विश्लेषण किया जाएगा। अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़े नियमित रूप से अनुश्रवण कार्य के 24 घंटे के अन्दर इंटरनेट के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रथम पक्ष के कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जायेगे। सभी आंकड़ें निर्धारित प्रारूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माह की समाप्ति पर प्रथम दस दिवसों में आवश्यक रूप से (हार्ड कापी/साफ्ट कापी) में उपलब्ध कराये जाएंगे। डाटा गैप होने की दशा में उक्त अवधि/दिवसों का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण कार्य के समस्त अभिलेख गोपनीय रखे जाएंगे और इनका प्रयोग किसी शोध कार्य, रिसर्च पेपर, समाचार पत्र एवं वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं आदि में बिना बोर्ड की अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। अनुश्रवण कार्य के परिणामों/आंकड़ों पर प्रथम पक्ष का ही अधिकार होगा।

9. यह कि अनुश्रवण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 01 माह का नोटिस देते हुए आवंटित कार्य को निरस्त किया जा सकता है। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध अवधि के मध्य अनुश्रवण का कार्य बन्द किया जाता है तो इसकी सूचना प्रथम पक्ष को निश्चित रूप से 03 माह पूर्व प्रेषित करनी होगी।
10. यह कि उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन स्थानीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के निगरानी में किया जाएगा एवं प्रतिदिन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ही किया जाएगा। यदि परियोजना अवधि के मध्य परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण संबंधी संयंत्रों में मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता पड़ने पर इसका निराकरण द्वितीय पक्ष स्वयं अपने स्तर से करायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार के व्यय आदि का वहन प्रथम पक्ष द्वारा नहीं किया जायेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुश्रवण से संबंधित उपकरणों का कैलीब्रेशन एन.ए.बी.एल. ऐंक्रिडीटेड लैब द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा। कैलीब्रेशन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। आर0डी0एस0 एवं बैलेन्स के इन्टर्नल एवं एक्सटर्नल कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन सार्टिफिकेट एवं रिकार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रथम पक्ष को आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।
12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रोजेक्ट कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष के प्रमुख से हस्ताक्षर करा कर आवश्यक रूप से प्रथम पक्ष को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रेषित की जाये जिसमें आंकड़ों के साथ उनकी विवेचना एवं सांख्यिकीय विश्लेषण भी सम्मिलित हो।
14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता कार्यों, प्रयोगशाला की गुणवत्ता, अनुश्रवण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि की समीक्षा समय-समय पर प्रथम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद एवं प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
15. दीपावली पर्व के दौरान परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य 24 घण्टा लगातार 15 दिवसों तक दीपावली पर्व के दिन सहित {पर्व से 01 सप्ताह पूर्व (07 दिन), पर्व से 01 सप्ताह बाद (07 दिन) अर्थात् कुल 15 दिन तक निरन्तर} आवश्यक रूप से किया जायेगा, जिसमें कि हैवी मेटल्स का विश्लेषण कराया जाना भी सम्मिलित होगा। हैवी मेटल्स के प्रचालकों के विश्लेषण में होने वाले व्यय का भुगतान सरकारी संस्था हेतु निर्धारित दर पर बोर्ड द्वारा पृथक से दिया जायेगा।
16. यह कि इस अनुबन्ध से संबंधित विषय में किसी विवाद की दशा में निराकरण मैत्रीपूर्ण रीति से किया जायेगा अन्यथा की दशा में प्रकरण का निराकरण भारतीय मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार किया जायेगा एवं मध्यस्थ के चयन हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
17. यह कि विवाद की स्थिति में लखनऊ न्याय क्षेत्र होगा।

अतः आज दिनांक को उक्त अनुबन्ध पत्र पर पक्षकारों द्वारा सहमत होकर गवाहों की उपस्थिति में अपना-अपना हस्ताक्षर बनाया गया, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवें।

गवाह

1.

प्रथम पक्ष

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ द्वारा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (के0प्रयो0)

2.

द्वितीय पक्ष

गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, रामपुर द्वारा
प्रो0 मो0 कामिल हुसैन,
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग,
गर्वमेन्ट रजा पी0जी0 कालेज, रामपुर।

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2023

विषय-प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-427/रा0उ0 शि0प0/01/2021, दिनांक 16.09.2022 एवं पत्र संख्या-442/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 22.09.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 1,34,23,587.00 (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार पांच सौ सतासी मात्र) का अनुदान/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।

3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
 4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।
 5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा ।
 6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा ।
 7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।
 12. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,34,23,587 (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार पांच सौ सतासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202038001300** प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-24/2023/681(1)/सत्तर-4-2023-002-4(59)/2022 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
अनु सचिव

			ओवर हेड चार्ज	14800.00	14800.00
			योग	162800.00	162800.00
65	डॉ० सीमा तेवतिया, भौतिक विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	Synthesis, Characterization and fabrication of Gas sensor response of 2D Hybrid Nanomaterials for Human Safety	अनावर्ती व्यय	90000.00	90000.00
			मैन पॉवर	-	-
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	120000.00	120000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	24500.00	24500.00
			योग	269500.00	269500.00
66	डॉ० विनय कुमार प्रजापति, वनस्पति विज्ञान, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आशियाना, लखनऊ	Quality Assessment of floristic diversity and conservation studies on high value plant resources of Shahid Chandra Shekhar Azad Vird Sanctuary for socio-Economic upliftment	अनावर्ती व्यय	50000.00	50000.00
			मैन पॉवर	25000.00	25000.00
			आकस्मिकता	15000.00	15000.00
			उपभोज्य सामग्री	6000.00	6000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	11100.00	11100.00
			योग	122100.00	122100.00
67	डॉ० अंजू सोनकर, गृह विज्ञान, लालता सिंह राजकीय पी०जी० कालेज अदलहाट, मिर्जापुर	Economic impact of flagship programmes of Government of India with special reference to Varanasi District	अनावर्ती व्यय	50000.00	50000.00
			मैन पॉवर	40000.00	40000.00
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	20000.00	20000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	-	-
			योग	145000.00	145000.00
68	डॉ० सन्तोष कुमार त्रिपाठी, जन्तु विज्ञान, महात्मा गाँधी पी०जी० कालेज, गोरखपुर	Evaluation of Effect of bioactive phytojuvenoid compounds on the reproductive and silk producing potentials of multivoltine mulberry silkworm	अनावर्ती व्यय	117500.00	117500.00
			मैन पॉवर	30000.00	30000.00
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	30000.00	30000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	9000.00	9000.00
			योग	221500.00	221500.00
69	डॉ० रजनीश चन्द्र त्रिपाठी, शारीरिक शिक्षा, राजकीय महिला महाविद्यालय,	Role of Yogic practices in Physiscal and Psychological Health of	अनावर्ती व्यय	50000.00	50000.00
			मैन पॉवर	75000.00	75000.00
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	20000.00	20000.00